भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2138

उत्तर देने की तारीख: 12.05.2016

स्कूलों द्वारा पुस्तकें तथा पठन सामग्री खरीदने हेतु बाध्य किया जाना

2138. श्री राजकुमार धूत:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय राजधानी तथा देश के दूसरे भागों में पब्लिक स्कूलों द्वारा छात्रों के माता-पिता को स्कूल अथवा किसी विशेष पुस्तक विक्रेता से अत्यधिक मूल्यों पर पुस्तकें तथा पठन सामग्री अनिवार्य रूप से खरीदने हेतु बाध्य किया जाता है; और

(ख) इस मामले में सरकार ने क्या कार्रवाई की है या करने का विचार रखती है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) और (ख): केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को निजी प्रकाशकों से पुस्तकें खरीदने के लिए अभिभावकों को मजबूर किए जाने की छिटपुट शिकायतें मिलती हैं। बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों से एनसीईआरटी/सीबीएसई द्वारा मध्यवर्ती कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम और एनसीईआरटी/सीबीएसई द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तकें अपनाया जाना अपेक्षित है। स्कूलों से यह भी अपेक्षित है कि वे माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल परीक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित अध्ययन योजनाओं के अनुसार पाठ्य-विवरण और पाठ्यक्रम अपनाएं। बोर्ड को कदाचार के मामले में ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे स्कूल को असंबद्ध किया जा सके। बोर्ड ने 14.05.2013, 06.02.2014 और 20.07.2015 को प्रयुक्त की जाने वाली पुस्तकों के संबंध में परिपत्र भी जारी किए हैं। ये परिपत्र सीबीएसई की वेबसाइट www.cbse.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।

*****